



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India



(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

मिसिल संख्या: ADMIN-12/1/2021/11172-83

दिनांक 29.12.2023

कार्यालय आदेश संख्या: 719/2023

सक्षम अधिकारी द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप रा.ज.वि.अ., अन्वेषण प्रभाग, हैदराबाद के कार्यालय में कार्यरत श्री नरसिम्हा राव, प्रधान लिपिक वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 5 (रु. 29,200-92,300/-) से अधीक्षक ग्रेड- II वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (रु 35,400-1,12,400/-) के पद पर दिनांक 01.01.2024 से पदोन्नत किया जाता है।

वेतन निर्धारण नियम एफ आर 22 (I) (ए) (1) के अधीन द्वितीय एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत उन्हें पहले से ही वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 (35,400-1,12,400/-) स्वीकृत किया जा चुका है, अतः वह पदोन्नती के उपरांत फिर से वेतन निर्धारण के हकदार नहीं है।

श्री नरसिम्हा राव, प्रधान लिपिक को पदोन्नति पर अधीक्षक ग्रेड- II के पद पर अन्वेषण प्रभाग, हैदराबाद के कार्यालय में पदस्थ किया जाता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(खुशाल सिंह)

उप निदेशक (प्रशा.)

सेवा में

श्री नरसिम्हा राव,

प्रधान लिपिक,

रा.ज.वि.अ.,

कार्यालय अन्वेषण प्रभाग, हैदराबाद ।

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (द.), रा.ज.वि.अ., हैदराबाद।
2. निदेशक (तक.)/(वित्त)/ (एम.डी.यू.)/ (प्रशा.), रा.ज.वि.अ., साकेत / पालिका भवन, नई दिल्ली।
3. लेखा अधिकारी, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
4. वेब मास्टर, एम.डी.यू. यूनिट, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
5. सतर्कता अनुभाग, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
6. कार्यालय आदेश मिसिल/नोटिस बोर्ड।
7. 1/D हैदराबाद

प्रति सूचनार्थ हेतु:-

1. महानिदेशक महोदय के वरिष्ठ निजी सचिव रा.ज.वि.अ., साकेत/पालिका भवन, नई दिल्ली।
2. मुख्य अभियंता (मुख्या.) के निजी सचिव रा.ज.वि.अ., साकेत/पालिका भवन, नई दिल्ली।

